न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी—राजेन्द्र विजय आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या— 03 / 2016

बउनवान

राजस्थान सरकार जरिये शिवजीराम जाट, प्रवर्तन निरीक्षक, बारां जिला—बारां (राज.)

(प्रार्थी)

बनाम

1—श्रीमति सुलोचना बाई, उचित मूल्य दुकानदार, जीरोद, तहसील अटरू, जिला—बारां
2—वाहन चालक व वाहन सं. ट्रेक्टर महिन्द्रा 575 डी.आई. आर. जे. 28 आर.बी.1840
3—थोक परिवहनकर्ता मै0 क्षितिज समूह सेवा संस्थान नाहरगढ़ तह0 किशनगंज, बारां प्रधान कार्यालय शिवकॉलोनी अस्पताल मार्ग, बारां

(अप्रार्थी)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 धारा, 6(ए) के तहत

उपस्थिति :—1. पेरोकार रसद **(प्रार्थी)**
2. श्री हरिओम चतुर्वेदी अभिभाषक **(अप्रार्थी कम 1 व 3)**
3. श्री विरेन्द्र गौतम अभिभाषक **(अप्रार्थी कम 2)**

निर्णय दिनांक— 15.11.2021

1— प्रार्थी श्री शिवजीराम जाट, प्रवर्तन निरीक्षक, बारां ने इस्तगासा विरूद्व अप्रार्थीगण 1 ता 3 अन्तर्गत धारा, 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर इस्तगासे में अंकित किया है कि दिनांक 31.12.2015 को रात्रि 11.00 बजे भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरौ, बारां द्वारा दूरभाष पर दी गई सूचना पर हमराह जिला रसद अधिकारी, बारां एफ.सी.आई. के सामने कोटा रोड़, बारां पहुंचे। मौके पर एक ट्रेक्टर महिन्द्रा नं0 आर.जे. 28 आर.बी. 1840 मौके पर खड़ा मिला जिसमें 113 कट्टे एफ0सी0आई0 मार्का के मशीन से सिले हुये पाये गये जो प्रथम दृष्टया राशन के गेहूॅ होने पाये। तत्समय ट्रेक्टर में एक बिल्टी व एक बिल पाया गया जो श्रीमति सुलोचना बाई उ0म0दुकानदार जीरोद त[illegible] अटरू के नाम से जारी था। मौके पर ड्राईवर उपस्थित नहीं मिला वह ट्रेक्टर [illegible] मौके पर जांच करने पर एफसीआई के सामने कोटा रोड़ के पास ट्रेक्टर [illegible] 575 डीआईई आर.जे. 28 आर.बी. 1840 खड़ा मिला जिसमें 113 कट्टे गेहूॅ के भरे पाये गये। मौके पर तत्समय को[illegible]वर उपस्थित नहीं मिला तथा ट्रेक्टर बंद अवस्था मेंब मिला ट्रेक्टर में एक बिल व बिल्टी मिली जो श्रीमति सुलोचना बाई उचित मूल्य दुकानदार जीरोद तहसील अटरू के नाम पर थी। उक्त बिल्टी अनुसार समय पर उक्त गेहूॅ राशन डीलर श्रीमति सुलोचना बाई उचित मूल्य दुकानदार जीरोद

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.02.02 12:33:52 IST
Reason: SelfAttested

तह0 अटरू के यहां नहीं पहुँचाकर कालाबाजारी में बेचने हेतु लेकर जा रहा था। इस सम्बन्ध में दूरभाष पर वार्ता करने पर उचित मूल्य दुकानदार श्रीमति सुलोचना बाई द्वारा बताया गया कि उसके पास अभी तक जारी बिल का गेहूँ नहीं पहुँचाया गया है एवं उसे इस सम्बन्ध में अधिक जानकारी नहीं है। मौके पर प्राप्त बिल सं0 5942 दिनांक 31.12.2015 जो कार्यालय प्रबन्धक नागरिक आपूर्ति, राराखनाआनि बारां द्वारा जारी किया गया था व बिल प्राप्ति रसीद पर उचित मूल्य दुकानदार के गेहूँ प्राप्ति के हस्ताक्षर नहीं पाये गये। मौके पर दौराने निरीक्षण लावारिस खड़े ट्रेक्टर जिसमें उ.मू.दुकानदार श्रीमति सुलोचना बाई के नाम से गेहूँ भरकर उसकी दुकान पर नहीं पहुँचाकर अवैधरूप से विक्रय करने हेतु ले जाते हुये पकड़े जाने तथा ड्राईवर द्वारा ट्रेक्टर टॉली छोड़कर भाग जाने से प्रमाणित होता है कि उक्त 113 कट्टे गेहूँ कालाबाजारी में बेचे जाने के लिये जा रहे थे। अतः उक्त 113 कट्टे गेहूँ सार्वजनिक वितरण प्रणाली का होने तथा खुर्द बुर्द करने की नीयत से ले जाना आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 व राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 113 कट्टे गेंहू एवं ट्रेक्टर ट्रॉली को जब्त करने की कार्यवाही की जाकर सुरक्षा की दृष्टि से महिला थाना बारां में खड़ा करवाया गया। दिनांक 2.1.2016 को उक्त ट्रेक्टर ट्रॉली को धर्म काटे पर तुलवाया गया जिसमें गेहूँ का वजन 56.20 क्विंटल मय बारदाना पाये जाने पर, जप्तशुदा गेहूँ डीलर श्री भगवान सहाय शर्मा उचित मूल्य दुकानदार कलमण्डा की सुपुर्दगी में दिया जाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त की गयी। जप्तशुदा ट्रेक्टर महिन्द्रा 575 डीआई आर.जे. 28 आर.बी. 1840 को थानाधिकारी, थाना सदर, बारां की सुपुर्दगी में दिया गया। अतः प्रकरण में जप्तशुदा गेहूँ वजनी 56.20 क्विंटल मय बारदाना एवं ट्रेक्टर महिन्द्रा 575 डीआई आर.जे. 28 आर.बी. 1840 को धारा, 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत राजसात किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

2— प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया। अप्रार्थी क्रम 1 व 3 तथा अप्रार्थी क्रम 2 जर्ये पृथक पृथक अभिभाषक उपस्थित हुये तथा अप्रार्थीगण की ओर से पृथक पृथक जवाब निम्नानुसार पेश किये गये।

3— अप्रार्थी क्रम 1 की ओर से जर्ये अभिभाषक जवाब इस आशय के साथ पेश किया कि अप्रार्थीया श्रीमति सुलोचना बाई उचित मूल्य दुकानदार ग्राम जीरोद तह0 अटरू को जब्तशुदा गेंहू 56.20 क्विं. गेंहू प्राप्त नहीं हुआ तथा अप्रार्थिया को उचित मूल्य दुकान जीरोद के लिए भिजवाये गये गेंहू की पूर्ण सूचना नहीं थी। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 04.01.2016 की चरण सं0 1 ता [illegible] में वर्णित तथ्यों एवं जब्त हुए 52.20 क्विं. गेंहू की अप्रार्थिया को जानकारी नहीं है। उक्त नोटिस निरस्त फरमाया जावे।

अप्रार्थी क्रम 2 द्वारा प्रस्तु[illegible] है कि इस्तगासे में अप्रार्थी के विरूद्ध झूठे व मनगढंत आरोप लगाये गये हैं जबकि [illegible] पर से फरार नही हुआ ना ही उसके बयान लिये गये ना ही किसी प्रकार [illegible] रहा है। कुछ लोगो की ट्रान्सपोर्ट ठेकेदार से रंजिश के चलते [illegible] वाहन चालक व वाहन को उक्त प्रकरण में झूठा लिप्त करने का प्रयास किया गया है। [illegible]हन एवं वाहन चालक द्वारा किसी प्रकार से अनावश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों को उल्लघंन में कोई कार्य नहीं किया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.02.02 12:33:52 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

बिल–बिल्टी सम्बन्धित वाहन चालक को उचित मूल्य दुकान तक पहुँचाने के लिए ही सम्भलाई जाती है संस्था कार्यालय में इस कार्य हेतु समुचित कर्मचारियों की व्यवस्था कर रखी है। संस्था को प्राप्त जानकारी 31.12.2015 को भी वाहन ट्रेक्टर नं0 आर.जे.28 आर.बी. 1840 को वाहन में लोड माल नियत डीलर श्रीमति सुलोचना बाई के यहां पहुँचाने के लिए बिल–बिल्टी सम्भलाई गई थी। वाहन स्वामी से ज्ञात हुआ कि एफसीआई के बाहर ही ट्रेक्टर को लगभग 7.00 पी.एम. पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा वहीं खड़ा रखने हेतु कहकर बिल बिल्टी ले ली गई व नियत स्थान पर जाने से रोक कर प्रकरण में झूठा आलिप्त किया गया है। प्रकरण में अप्रार्थी संस्था को अनावश्यक रूप से आलिप्त किया गया है जबकि उनका कार्य भाडा परिवहन का है। संस्था द्वारा कोई अनुचित कृत्य नहीं किया गया है न ही आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के उल्लघंन में कोई कृत्य किया गया है। रजिशवंश संस्था को बदनाम करने का झूठे आलिप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में अनावश्यक पक्षकार बनाये जाने व झूठ आलिप्त किये जाने के कारण संस्था का नाम प्रकरण से डिलीट कर, समस्त कार्यवाही ड्रोप फरमावें।

7– हमने पेरोकार रसद व अप्रार्थीगण अभिभाषक की बहस को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड दस्तावेजात् का आद्योपांत अवलोकन किया गया जिससे पाया जाता है कि प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक, बारां हमराह श्री शंकरलाल जिला रसद अधिकारी, बारां द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर एफ.सी.आई. के सामने कोटा रोड़ बारां में पहूँचकर दिनांक 31.12.2015 को मौके पर जॉच करने पर पाया कि "जप्त गेहूँ वजनी 56.20 क्विंटल मय बारदाना एवं ट्रेक्टर नं0 आर.जे. 28 आर.बी. 1840 उचित मूल्य दुकानदार श्रीमति सुलोचना बाई के नाम से गेहूँ भरकर उसकी दुकान पर नहीं पहुँचाकर अवैधरूपं से विक्रय करने हेतु ले जाते हुये पकड़े तथा ट्रेक्टर छोडकर भाग जाने से प्रमाणित होता है कि उक्त 113 कट्टे गेहूँ कालाबाजारी में बेचे जाने के नियत से ले जा रहे थे । प्रार्थी द्वारा जब्तशुदा गेंहू 56.20 क्विं. मय बारदाना एवं ट्रेक्टर सं0 28 आर.बी. 1840 को राजसात करने हेतु इस्तगासा पेश किया है, जो उचित प्रतीत होता है। ट्रेक्टर सं0 28 आर.बी. 1840 प्रा0पत्र सुपुर्दगी वाहन प्रकरण संख्या 18/2016 में पारित आदेश कीर पालना में दिनांक 2.2.2016 को प्रार्थी नरेन्द्र कुमार नागर द्वारा सुपुर्दगी हेतु सुपुर्दगीनामा तादीदी राशि 600000/– (छह लाख रूपये) पेश करने पर सुपुर्द किया जा चुका है।

8– परिणामस्वरूप, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में जब्तशुदा गेंहू 56.20 क्विं. मय बारदाना को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी, बारां को आदेश दिये जाते है कि जब्तशुदा गेंहू की राजकीय अमानत मद में जमाशुदा राशि विभागीय नियमानुसार निस्तारण कर, [illegible] विभागीय मद में जमा करावें।

निर्णय आज दिनांक [illegible] को इजलास में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राजेन्द्र विजय)
जिला कलक्टर बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.02.02 12:33:52 IST
Reason: SelfAttested